


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल गवालियर म०प० सर्किट कोट- रीवा,



१। सनत कुमारसिंह तनयस्व० नागेश्वर सिंह घौहान, R 5250-II/15

२। रघबहादुर सिंह तनयस्व० नागेश्वर सिंह घौहान,  
दोनों निः ग्रा० हडवडौ पत्रालय उपनी, तह० गोपदब्नास, जिला  
सीधी ₹५०प०  
बाम

—आवेदकगण

३। सूर्यप्रतापसिंह तनय रविकरण सिंह ₹५०प० दारा वारिसान -

४। देवेन्द्र सिंह तनय स्व० सूर्यप्रताप सिंह सिंह ,

५। विक्रमादित्य सिंह तनय स्व० सूर्यप्रताप सिंह ,

६। दयासागरसिंह तनयस्व० सूर्यप्रताप सिंह ,

७। बलराम सिंह तनय रविकरण सिंह,

८। प्रवीण कुमार सिंह तनय ललन सिंह ,

सभी निः ग्रा० हडवडौ पत्रालय उपनी, थाना- कोतवाली, तह०

गोपदब्नास, जिला- सीधी ₹५०प०  
—अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी

गोपदब्नास, जिः सीधी दारा प्रकरण

क्र०-42/ष-121/13-14 में आदेश दिनांक

24-11-15 .

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प०भ०रा०स०

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है :-

१। यह कि मानूनीयउपखण्ड अधिकारी गोपदब्नास, जिला-सीधी के न्यायालयमें एक परिवाद प्रवीण कुमार सिंह दारा प्रस्तुत किया गया । इस परिवाद दारा सहायक बंदूबस्त अधिकारी दल क्र०-। दारा परिवर्तन पंजी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्रो-R.5260-II/15

जिला-सीधी

सनत कुमार सिंह/सूर्यप्रताप सिंह वगैरः

(1)	(2)	(3)
27.04.17	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p>  <p style="text-align: center;">सरदार सिंह</p>	